FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

मुकनाराम बनाम खंगारराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा०भा०का० 111,128 RLRAct नं. 144/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/07/2020	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/07/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/07/2020	अधिवक्तागण रेफरेन्स में है। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने के फिसाल इलतवा होकर आगामी दिनांक 05/08/2020 को पेश हो। [initials]	
05/08/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध (एकतरफा) कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी	

[signature]
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 18:34:31 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक / आव
राजस्व आवेदन

निवेदन किया गया कि
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत मेड़ा मेड़ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच जो पुरानी मांडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है इसलिए खेत के मेडो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के मेडो का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभि-लेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 18:34:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 519

राजस्व आवेदन संख्या –144 / 2020

दिनांकः– 31/08/2020

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री मुकनाराम पुत्र राउराम
जाति मेघवाल
निवासी–कोसरिया,
तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर

श्री खंगारराम पुत्र करनाराम वगैरा 7,
निवासी–कोसरिया, तहसील–बायतु
जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा कोसरिया, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 595/225 रकबा 1.7394 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 31/08/2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 520-524

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मुकनाराम पुत्र राउराम।
4. विप्रार्थीगण श्री खंगारराम पुत्र करनाराम वगैरा 7।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

विवेक व्यास

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 18:34:31 IST
Reason: SelfAttested